प्रेषक,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
बिजनौर

सेवा में,

प्रबंधक,
पुष्प निकेतन प्रा०स्कूल, निकट शुगर मिल, धामपुर
जनपद–बिजनौर।

पत्रांक / बेसिक / मान्यता / 835 / 2006-07 दिनांक 21/05/07

विषयः–विधालय को प्राईमरी स्तर की नवीन अस्थायी मान्यता दिये जाने के संबंध मे।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक सूच्य है कि आपके विधालय को नवीन प्राईमरी स्तर की अस्थायी मान्यता दिये जाने का प्रकरण जिला मान्यता समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया।मान्यता समिति के निर्णयानुसार आपके विधालय को प्राईमरी स्तर (कक्षा 1 से 5 तक)की अस्थायी मान्यता शासनादेश सं0 1837 / 15–98–18(एस)–7 / 89 दिनांक 10 सितम्बर,1998 में दिये निर्देशानुसार निम्नांकित प्रतिबन्धों के साथ प्रदान की जाती है:–

1–विधालय में अवैधानिक कक्षाओं जैसे के0जी0,नर्सरी आदि का संचालन न किया जाय
2–विभागीय आदेशों एवं बेसिक शिक्षा सहिंता के अनुच्छेदों का पूर्णतः पालन किया जाय।
3–विधालय में आकस्मिक दुर्घटना से बचाव के संसाधन उपलब्ध होने आवश्यक हैं।
4–छात्रों से अवैधानिक शुल्क न लिया जाये अर्थात् निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क न लिया जाय।
5–विधालय में विभाग / उ0प्र0शासन द्वारा स्वीकृत पाठ्यक्रम / पुस्तकें ही पढ़ाई जाय।
6–विधालय में शिक्षा हिन्दी माध्यम से ही दी जाय।
7–छात्रों की संख्या में वृद्धि की जाय।
8–अध्यापक / अध्यापिकायें अगले शिक्षा सत्र से प्रशिक्षित ही नियुक्त किये जाय।अप्रशिक्षित शिक्षकों के होते हुए विधालय को स्थायी मान्यता दिया जाना सम्भव न होगा।
9–विधालय में निर्धारित माप के पक्के कमरे उपलब्ध होने आवश्यक है।
10–स्थायी मान्यता हेतु 5 वर्ष में आवेदन करना अनिवार्य होगा तथा स्थायी मान्यता हेतु निर्धारित सभी शर्तो को इस अवधि में पूरा करना आवश्यक होगा। स्थायी मान्यता हेतु विधालय का अपना / निजी भवन होना अनिवार्य है।

यदि उक्त निर्देशों / विभागीय निर्देशों एवं इस कार्यालीय द्वारा दिये गये निर्देशों का आपके द्वारा पालन नहीं किया जाता है,तो प्रदत्त मान्यता किसी भी समय बिना पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती हैं।

भवदीय
21/5/07
(सुरेन्द्र कुमार)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
बिजनौर
बिजनौर

पृ0सं0 / बेसिक / मान्यता / / 2006–07 तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नाकिंत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–
1–जिला समाज कल्याण अधिकारी,बिजनौर।
2–जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी,बिजनौर।
3–जिला पिछड़ावर्ग कल्याण अधिकारी,बिजनौर।
4–संबंधित सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी / नगर शिक्षा अधिकारी,जनपद–बिजनौर।

(सुरेन्द्र कुमार)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
बिजनौर

Rashmi 03/09/2022

PRINCIPAL
PUSHP NIKETAN SCHOOL
D.S.M. DHAMPUR
BIJNOR U.P. 246761

Manager
Pushp Niketan School
DSM, Dhampur
Bijnor (U.P.)